न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2170–एक/2015 – विरूद्व आदेश दिनांक 01–05–2015 – पारित व्दारा अतिरिक्त तहसीलदार विदिशा – प्रकरण कमांक 20 अ–12/2014–15

लक्ष्मण सिंह पुत्र धारू सिंह
ग्राम करेला तहसील विदिशा
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्व

1– अनार सिंह पुत्र सरदार सिंह
2– गजराज सिंह पुत्र सरदार सिंह
ग्राम परासी खुर्द तहसील विदिशा
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)

(अना0 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय किया गया, किंतु वाद में उपस्थित)

आ दे श

(आज दिनांक 3 – 11 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 20 अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 2–5–2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार विदिशा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत आवेदन देकर उनके स्वामित्व की ग्राम करेला स्थित भूमि सर्वे कमांक 4/1/1, 20/1, 20/2 के सीमांकन की प्रार्थना की। अतिरिक्त तहसीलदार विदिशा ने प्रकरण कमांक 20 अ–12/2014–15 पंजीबद्व किया तथा पत्र दिनांक 8–4–15 भेजकर राजस्व निरीक्षक वृत्त 1/1 तहसील विदिशा से सीमांकन प्रतिवेदन मॉगा। राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने दिनांक 25–4–15 को स्थल पर जाकर ए.टी.एम. मशीन चलाकर सीमांकन कार्य किया एंव उपस्थित पंचों के समक्ष सीमा बंदी कराई । तदुपरांत मय पंचनामा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 28–4–15 प्रस्तुत किया, जिसे अतिरिक्त तहसीलदार विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 20 अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 2–5–2015 से अंतिमता प्रदान की। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर विद्वान अभिभाषक के तर्क सुनना चाहे, किन्तु आवेदक के अभिभाषक ने लेखी तर्क प्रस्तुत किये। पंजीकृत डाक से सूचना भेजने के बाबजूद अनावेदकगण के अनुपस्थित रहने से अंतरिम आदेश दिनांक 10–8–16 सेएकपक्षीय कार्यवाही की गई, किन्तु वाद में अनावेदक अनार सिंह ने उपस्थित होकर लेखी बहस प्रस्तुत की।

5/ निगरानी मेमो में तथ्यों एंव उभय पक्ष व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के अवलोकन पर स्थिति यह है कि ग्राम करेला स्थित भूमि सर्वे कमांक 4/1/1, 20/1, 20/2 भूमि अनावेदकगण के स्वत्व एंव स्वामित्व की है जिसका उन्होंने सीमांकन कराया है। अतिरिक्त तहसीलदार विदिशा के प्रकरण कमांक 20 अ–12/2014–15 में संलग्न अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि हलका पटवारी ने सीमांकन करने के पूर्व पत्र दिनांक 24–4–15 भेजकर मेढ़िया कृषक लक्ष्मण सिंह, मदन सिंह, ज्ञान सिंह को सीमांकन किये जाने एंव सीमांकन के समय उपस्थित रहने की विधिवत् लिखित में सूचना दी है इस सूचना पत्र पर कोटवार ने टीप दी है कि मेढ़िया कास्तकारों ने सूचना पत्र लेने से इंकार किया। इसका अर्थ यह हुआ कि राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी

ने मेढ़िया कास्तकारों को सीमांकन की विधिवत् सूचना दे दी थी। दिनांक 25–4–15 को राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी मौके पर ग्राम केरला पहुंचे हैं एंव सभी मेढ़िया कास्तकारों को बुलावा भी भेजा है तदुपरांत मौके पर जाकर ई0टी0एम0मशीन से सीमांकन किया है एंव सीमांकन उपरांत मौके पर पत्थर गड़वाये हैं। सीमांकन प्रतिवेदन, पंचनामा से इसकी पुष्टि होती है। अतिरिक्त तहसीलदार विदिशा के प्रकरण कमांक 20 अ–12/2014–15 के अवलोकन से सीमांकन कार्यवाही में किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आया है। यदि विचाराधीन निगरानी के तथ्यों पर बारीकी से विचार किया जाय, अनावेदकगण के स्वामित्व की भूमि के 0.129 है. भाग पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है जिसके कारण आवेदक ने यह निगरानी की है यदि आवेदक 0.129 है. भूमि स्वयं् की होना मानता है तब वह स्वयं् के स्वत्व व स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराने एंव स्वयं् की भूमि चिन्हित कराने के लिये स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन पाई गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अतिरिक्त तहसीलदार विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 20 अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 2–5–2015 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर